न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री भंवरलाल जनागल, आर०ए०एस०
राजस्व वाद संख्या : 21/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. ओमप्रकाश पुत्र बुधाराम जाति–माली, निवासी–बांझाकुड़ी तहसील–जैतारण, जिला–पाली 2. दिलीप कुमार पुत्र मदनलाल जाति–माली, निवासी–मेड़ता रोड़ तहसील–मेड़ता, जिला–नागौर 3. अरविन्द कुमार पुत्र रामजीवण जाति–सोमानी (माहेश्वरी) निवासी–जैतारण, जिला–पाली		1. रूपाराम पुत्र धन्नाराम 2. देवाराम पुत्र धन्नाराम जाति–राव, निवासी–लाम्बियां, तहसील–जैतारण। 3. केली पत्नी भंवरूराम जाति–मेघवाल, निवासी–लाम्बियां, तहसील–जैतारण। 4. लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्नाराम 5. नौरतमल पुत्र रतनलाल पारिक जाति–ब्राह्मण, निवासी–लाम्बियां। 6. पप्पुराम पुत्र बुधाराम 7. विशना पुत्री बुधाराम 8. मंजु पुत्री बुधाराम 9. नंदकिशोर पुत्र तिजणी पुत्री बुधाराम जाति–राव 10. चम्पालाल पुत्र मांगीलाल 11. नेमीचंद पुत्र मांगीलाल 12. आईदान पुत्र मांगीलाल 13. सीकाराम पुत्र मांगीलाल 14. रेंवतराम पुत्र मांगीलाल 15. श्याम पुत्र मांगीलाल 16. उमरावकंवर पुत्री मांगीलाल जाति–राव निवासी–लाम्बियां, तहसील–जैतारण, जिला–पाली 17. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 — **तारीख रजूः.14/01/2019**

उपस्थितः. 1. श्री चुतराराम भाटी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री हरिओम पारिक, अधिवक्ता, प्रति०

–:: निर्णय ::– — **दिनॉकः–** 30/07/2019

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा अन्तर्गत धारा 53ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा–लाम्बियां में वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 से 16 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 989 रकबा 18–03 बीघा किस्म चाही सोयम की आई हुई है। उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं प्रतिवादी संख्या 6 से 8 के पिता व प्रतिवादी संख्या 9 के नाना बुधाराम से दिनांक 09/04/2012 को खरीद कर अपने नाम रजिस्ट्री करवाई और उसी दिन मौके पर वादीगण ने कब्जा प्राप्त किया तब से आज दिन तक लगातार बिना किसी रोक टोक के कब्जा चला आ रहा है। मुतनाजा जमीन के पास ग्राम लाम्बियां की आबादी भूमि आई हुई होने से वादीगण अपने 6/18 हिस्सा यानि कुल भूमि में से 1/3 हिस्सा का मौके पर कब्जा अनुसार बंटवाड़ा करवाना चाहते है वादीगण के 1/3 हिस्से की भूमि पर कब्जा अनुसार मौके का नजरी नक्शा बनाकर दावा के साथ पेश किया जा रहा है नजरी नक्शा में वादीगण के हिस्से की भूमि को लाल रंग से दर्शाया हुआ है जिसे दावा का एक भाग माना जावे। उक्त भूमि आबादी के पास होने से तथा वादीगण के हिस्से की भूमि तरमीम नहीं होने से आपस में विवाद रहता है। इसलिए मुतनाजा जमीन का बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है वादीगण अपने हिस्से की जमीन का बंटवाड़ा कराये बिना बैंक से ऋण नहीं ले सकते और न अपने 1/3 हिस्से की जमीन का सुधार करवा सकते है इसलिए बंटवाड़ा करके वादी के 1/3 हिस्से की जमीन को तरमीम किया जाकर खाता अलग किया जावे और लगान भी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अलग किया जावे ताकि मौके पर आपस में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सके। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त खातेदारी जमीन का बंटवाड़ा करने के लिए कई बार कहा लेकिन प्रतिवादीगण यह कहते रहे कि बंटवाड़ा करवा लेंगें लेकिन आज तक बंटवाड़ा नहीं कराने से यह वाद पेश किया जा रहा है मौके पर हररोज माठ को लेकर आपस में विवाद होता रहता है यदि मौके पर कब्जा अनुसार बंटवाड़ा नहीं किया गया तो पक्षकारान आपस में झगड़ा करेंगे जिससे वादीगण अपने 1/3 हिस्से की जमीन का सुधार भी नहीं करवा सकेगें। तथा जिससे वादीगण को नुकसान होगी जिसकी क्षतिपूर्ति प्रतिवादीगण किसी भी सूरत में अदा नहीं कर सकेंगे। विविध प्रकार के मुकदमें बाजी होगी इसलिए मुतनाजा भूमि का बंटवाड़ा किया जाना जरूरी है। प्रतिवादी संख्या 17 तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर होने से व दावा बंटवाड़ा का होने से आवश्यक़ पक्षकार बनाया गया है इससे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। वादीगण का बिनाय दावा दिनांक 05/01/2019 को प्रतिवादीगण ने मुतनाजा जमीन का बंटवाडत्रा कराने से साफ इंकार करने पर बमुकाम लाम्बियां में पैदा हुआ जो अदालत बाला के क्षैत्राधिकार में है व वाद अंदर म्याद पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1, 2, 6 से 16 बावजुद समन तामिल/सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से वकील हरिओम पारिक ने वकालत नामा पेश किया गया सा.मि. किया गया। वादी संख्या 1 मय अधिवक्ता एवं वादी संख्या 2 व 3 जरिये अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4, 5 मय अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3 जरिये अधिवक्ता ने एक तहरीरी राजीनामा मय नजरी नक्शा पेश किया। राजीनामा में वर्णित तथ्यों को उभयपक्षकारान् के रूबरू पढा गया। जिसे सुन समझ कर सही व सत्य होना स्वीकार किया गया। बाद राजीनामा पृथ्क से तस्दीक किया जाकर सामिल मिशल किया गया। बहस वकुलाय सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात तथा राजीनामा मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं. राजीनामा मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर नजरी नक्शा अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी का बंटवाड़ा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया है। लिहाजा पक्षकारान् में माफिक राजस्व रेकर्ड एवं नजरी नक्शा के अनुसार बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-लाम्बियां में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 से 16 की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 989 रकबा 18-03 बीघा किस्म चाही सोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर आदेशित किया गया।

तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2019/3050 दिनांक 14/06/2019 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा का गहनता से अवलोकन किया गया। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा फर्द पर वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर हैं। वकुलाय को सुना गया। वकुलाय ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-लाम्बियां में वादीगण व प्रतिवादी संख्या-1 से 16 की खातेदारी एवं कब्जे

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

काश्त की जमीन खसरा नम्बर 989 रकबा 18–03 बीघा किस्म चाही सोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा	किस्म	लगान
1	रूपाराम पुत्र धनाराम 37/91 देवाराम पुत्र धनाराम 17/91 पप्पुदान पुत्र बुधाराम विशना मंजु पुत्रियां बुधाराम नंदकिशोर पुत्र तिजणी पुत्री बुधाराम 27/91 चम्पालाल नेमीचंद आईदान सीकाराम रेवतराम श्याम पिता मांगीलाल अमराव कंवर पुत्री मांगीलाल 10/91 कौम राव सा.देह खातेदार	989 989/3 989/1	6-11 0-01 2-10	चा.सो. चा.सो. चा.सो.	17.16 0.13 6.55
	योग	**3**	**9-02**		**23.84**
2	लक्ष्मीनारायण पुत्र धन्नाराम कौम ब्राह्म्ण सा.देह खातेदार।	989/4	1-00	चा.सो.	2.62
3	नौरतमल पारीक पुत्र रतनलाल कौम ब्राह्म्ण सा.देह खातेदार।	989/5	1-00	चा.सो.	2.62
4	केलकी पत्नी भंवरूराम कौम मेघवाल सा.देह खातेदार।	989/6	1-00	चा.सो.	2.62
5	ओमप्रकाश पुत्र बुधाराम कौम माली सा. बांझाकुड़ी 1/4 दिलीप कुमार पुत्र मदनलाल भाटी कौम माली सा. मेड़तारोड़ 1/4 अरविन्द कुमार पुत्र रामजीवण सोमानी कौम माहेश्वरी सा. जैतारणं 1/2 खातेदार।	989/2	6-01	चा.सो.	15.85

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेखय भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 30/07/2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner